निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 22/18
दायरा दिनांक 07.07.2018
निर्णय दिनांक 14.12.2020

उनवान

शहजाद मियां पुत्र नन्नू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां राज0

..........प्रार्थी

:– बनाम :–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट
निर्णय दिनांक 14.12.2020

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूध्द अप्रार्थी के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 356/347 के खसरा नंबर 528 रकबा 05.09 बीघा ख.नं. 572 रकबा 2.12 बीघा कुल किता 2 रकबा 8.01 बीघा भूमि वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा मे स्थित है।

उक्त विवादग्रस्त आराजी भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा भूमि खसरा नंबर 528 में निहित है। भूमि खसरा नंबर 528 को 5.09 बीघा में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त आपसी सहमति से करते चले आ रहे हैं।

अब्दुल गनी ने जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2000 को शफी, सुवराती, यासीन पुत्रगण नूर मोहम्मद को भूमि खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा में हिस्सा 1/3 हिस्सा बेचान किया था। उक्त बेचान नामे के आधार पर अब्दुल गनी का 1/3 हिस्से का इंतकाल को भूमि खसरा नंबर 572 की 2.12 बीघा में शफी, सुवराती व यासीन पुत्रगण नूर मोहम्मद के नाम खुलना चाहिए था जबकि हल्का पटवारी, तहसीलदार द्वारा इंतकाल भी कड़ैयावन कैंप दिनांक 24.06.2000 को किता 2 रकबा 8.01 बीघा का खोल दिया तथा जमाबंदी में दर्ज कर दिया जो विधि विरुद्ध है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से खुला है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है तथा न्याय हित में [illegible] दिनांक को 18.05.2018 को पेश किया था जो कड़ैयावन कैंप में दिनांक 24.0[illegible]18 [illegible] हल्का पटवारी रिपोर्ट के बाद

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

को दो किता खसरा नम्बर 528,572 किता दो रकबा 08 बीघा 01बिस्वा में खोल

बैंक एन.ओ.सी. के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। गलती राजस्व कर्मचारियों से हुई है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 5.07.2018 को उत्पन्न हुआ जब नकल जमाबंदी व इंतकाल ली गई।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कड़ैयावन तहसील छबड़ा कैंप दिनांक 24.06.2000 को नामांतकरण संख्या 897 में किता 2 खसरा नंबर 528 रकबा 5.09 बीघा एवं खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा में हिस्सा 1/3 का खोला गया इंतकाल निरस्त कर विक्रय पत्र दिनांक 28.4.2000 के आधार पर भूमि खाता संख्या 356/347 में खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा ग्राम कडैयावन में हिस्सा 1/3 के आधार पर इंतकाल खोलने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार पैरोकार तहसीलदार छाबड़ा द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार छबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयावन की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 356 में खाता शफी, सुवराती, यासीन पुत्र नूर मोहम्मद हिस्सा 1/3 अब्दुल गनी पुत्र नन्नू खां हिस्सा 1/6 शहजाद पुत्र नन्नू खां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खाते दर्ज हैं। ग्राम कडैयावन के नामांतकरण नंबर 897 दिनांक 24.06.2000 के निर्णय मुताबिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार हुआ, परंतु सहवन से नामांतकरण का अमल संपूर्ण खाते पर हो गया।

चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2000 के द्वारा विक्रेता अब्दुल गनी ने खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा में अपने हिस्से 1/3 का बेचान क्रेता शफी, सुवराती व यासीन पिता नूर मोहम्मद जाति मुसलमान को किया गया था। किंतु सहवन से नामांतकरण नंबर 897 में क्रेता का नाम खसरा नंबर 572 के स्थान पर संपूर्ण खाते में हो गया। परंतु रजिस्ट्रेशन के मुताबिक नामांतकरण स्वीकार किया गया था। अतः निर्णय अनुसार क्रेता का नाम संपूर्ण खाते के स्थान पर केवल खसरा नंबर 572 पर ही दर्ज करने हेतु रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.4.2000, नकल इंतकाल नंबर 897 दिनांक 24.06.2000, नकल वर्तमान जमाबंदी संवत 2054–57, 2074–2077, नकल खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र, नकल उपखंड अधिकारी आदेश दिनांक 24.5.2018 व नकल आर्डर शीट एवं नकल जमाबंदी चालू खाता रहन मुक्ति सहित वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पेश किये गये है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर ग्राम कडैयावन की वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 356 में खाता शफी, सुवराती व यासीन पुत्र नूर मोहम्मद हिस्सा 1/3 अब्दुल गनी पुत्र नन्नू खां हिस्सा 1/6, शहजाद पुत्र नन्नू खां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह दर्ज होना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम कडैयावन के नामांतकरण संख्या 897 दिनांक 24.6.2000 तहसीलदार छबडा द्वारा जर्ये रजिस्ट्रेशन स्वीकार होना पाया जाता है तथा जिस का अमल संपूर्ण खाते पर होना पाया जाता है। इसी प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 28.4.2000 के द्वारा विक्रेता अब्दुल गनी ने खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा में अपना हिस्सा 1/3 का बेचान क्रेता शफी, सुवराती व यासीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कड़ैयावन को किया गया परंतु नामांतरण नंबर 897 में क्रेता का नाम खसरा नंबर 572 के स्थान पर संपूर्ण खाते में हो जाने से त्रुटि की गई होना पाया जाता है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 28.4.2000 के द्वारा विक्रेता अब्दुल गनी ने खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा में अपना हिस्सा 1/3 का बेचान क्रेता शफी, सुवराती व यासीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कड़ैयावन को किया गया परंतु नामांतरण नंबर 897 में क्रेता का नाम खसरा नंबर 572 के स्थान पर संपूर्ण खाते में दर्ज हो जाने से त्रुटि की गई। इंतकाल खोलते समय खसरा नंबर 572 रकबा 2.12 बीघा पर हिस्से 1/3 दर्ज होना चाहिये था। परन्तु सम्पूर्ण खाते मे हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया। चूकि इंतकाल नं. 897 तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया है। इंतकाल नं. 897 खारिज होने के बाद ही पुनः जर्ये विक्रय पत्र से ही हिस्सा दुरस्त किया जा सकेगा। जबकि तहसीलदार द्वारा तस्दीक इंतकाल को इस न्यायालय द्वारा खारिज करने का श्रवणाधिकार नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–क्रियात्मक आदेश–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह इंतकाल नं. 897 को खारिज कराने के लिये सक्षम न्यायालय में अपील पेश करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2021.01.13 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested